उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

संख्याः-15/2017/1420/86-2017-321/2013टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक भूवैज्ञानिक के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी **श्री परिजात त्रिपाठी** पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी 55/छ/206 न्यू सरदारी खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ पिन 226005 रजिस्ट्रेशन नं0 51920006267 को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाया गया है।

2- अतएवं श्री परिजात त्रिपाठी को सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-2 के अन्तर्गत वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 5400/- में सहायक भूवैज्ञानिक के पद पर निम्न शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में तैनात किये जाने के श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते है:-

1. श्री परिजात त्रिपाठी, सहायक भूवैज्ञानिक के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।
2. इनकी सेवा शर्ते शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होगी।
3. उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो, देय होगें।
4. उ0प्र0 अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
5. अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
7. तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
   (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ पत्र।

9. इन सहायक भूवैज्ञानिक की पारस्परिक ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 1420(1)/86-2017, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद

2- उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-580/06/डी0आर0/एस-6/2014-15 दिनांक 21.02.2017 के क्रम में।

3- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

4- निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया नियुक्त उक्त अधिकारी को प्रस्तर-8 में उल्लिखित अभिलेखों को उपलब्ध कराकर इनको योगदान कराये और योगदान रिपोर्ट शासन को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करे।

5- मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ।

6- सम्बन्धित अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in